प्रेस विज्ञप्ति

"अगर दीदी एक तापशी मल्लिक के लिए दौड़ सकती हैं तो उन्हें ज़रूर हम ८०० गरीबों की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है और उन्हें यहाँ आकर हमें देखना चाहिए"- कोलकाता, नोनाडांगा बस्ती के झुग्गी निवासी.

१४ अप्रैल २०१२

आजकल पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही कुछ घटनाओं पर आपका ध्यान दिलाने और उनका खुलासा करने के लिए हम ये लिख रहे हैं। यह सभी देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। कलकत्ता, नोनाडांगा झोपड़पट्टी इलाके में, ३० मार्च २०१२ को 'विकास' और 'सौंदर्यीकरण' के नाम पर ३०० गरीब परिवारों को तृणमूल सरकार ने ज़बरदस्ती उनके घर से निकाल दिया। कलकत्ता शहरी विकास प्राधिकरण (के.एम.डी.ए.) द्वारा उनकी झुग्गियों पर बुलडोज़र चलवा दिया गया है। ये बेघर झुग्गी निवासी अभी खुले में रह रहे हैं और लगातार पुलिस का दमन झेल रहे हैं।

इन कठिन परिस्थियों के बावजूद भी उन्होंने अपना संघर्ष ज़ारी रक्खा है और अभी भूख हड़ताल पर हैं। उनकी मांगों पर अभी तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। हालांकि इस वर्ष योजना आयोग ने प॰ बंगाल को योजना को पिछली बार से १६ प्रतिशत ज्यादा का आर्थिक अनुदान देने का वादा किया है पर फिर भी गरीबों की उपेक्षा की जा रही है।

बात सिर्फ आर्थिक उपेक्षा की ही नहीं है; प्रदेश सरकार ने अपने दमनकारी तरीके भी और तेज़ किये हैं। ४ अप्रैल को कलकत्ता पुलिस और कुछ गुंडों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे बेदखल लोगों पर लाठियों से हमला किया। इन प्रदर्शनकारियों पर जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, पुलिस के एक बड़े दस्ते ने हमला किया, इस पुलिस दस्ते में एक भी महिला सिपाही शामिल नहीं थी। एक गर्भवती प्रदर्शनकारी, रीता पात्रा इस हमले में बुरी तरह घायल हो गयीं। इस क्रूरता, झुग्गी गिराने और जबरदस्ती बेदखली के विरोध में रूबी चौराहे, ई. एम बाइपास कलकत्ता पर ८ अप्रैल को एक दिन का धरना आयोजित किया गया। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन की पूर्व आज्ञा मिलने के बावजूद भी पुलिस ने इसे गैर कानूनी ठहराते हुए छिन्न-भिन्न कर दिया। उच्छेद प्रतिरोध कमिटी (निष्काशन विरोधी समिति) के ६९ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके लालबाजार पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया। उनमें से नौ साल की बच्ची, मनिका कुमारी, पुत्री दिलीप शा, को भी ९ घंटे तक कारागार में बंद रखा गया। मनिका को बंद रखना बाल न्यायलय (बच्चे की देखभाल और सुरक्षा) की अवेहलना करना है, जो सिंगूर आंदोलन के दौरान पायल बाघ के साथ हुई घटना की याद दिलाता है। पुलिस ने जानबूझ कर गिरफ़्तारी का ज्ञापन नहीं

दिखया, जो कि कानूनी प्रक्रिया की एक और अवेहलना है। इन घटनाओं के मद्देनज़र और इस तानाशाही के विरुद्ध एशिया की मानवाधिकार संस्था ने नोनाडांगा घटना पर एक अत्यावश्यक मुक़दमा (एएचआरसी-यूएसी-०५८-2011) दायर किया है।

इसी तानाशाही के चलते गिरफ्तार लोगो के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा १५१ के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया है। ८ अप्रैल की शाम को लगभग सभी गिरफ्तार लोगो को असोसीएशन फार दी प्रोटेक्शन आफ डेमोक्रटिक राईट्स (ए.पी.डी.आर) के सदस्यों तथा और भी कार्यकर्तायों की उपस्थिति में व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ दिया गया। किन्तु सात मानवाधिकार समर्थक कार्यकरता 'देबोलिना चक्रवर्ती, शामिक चक्रवर्ती, मानस चटर्जी, देबयानी घोष, सिद्धार्थ गुप्ता, पार्थसारथी राय और अभिज्ञान सरकार' अभी भी हिरासत में हैं। इन सभी लोगों पर गैर-जमानती धाराओं के झूठे आरोप लगाये गए हैं। अचानक हुयी इन गलत गिरफ्तारियों के खिलाफ जब लालबाजार में इकट्ठे हुए बाकी कार्यकर्तायों ने रोष जाहिर किया तब उन्हें आक्रामक पुलिस दस्ते ने जबरदस्ती वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। ए. पी. डी. आर के सदस्य तब सेंट्रल गेट लालबाजार के पुलिस अधिकारी से मिले और रिपोर्ट दर्ज कराई। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी के अनुसार इन सातों कार्यकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा ३५३, ३३२, १४१, १४३, १४८ और १४९ के तहत मामले दर्ज किये गए हैं और उन्हें ९ अप्रैल २०१२ को अलीपोर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में प्रस्तुत किया जायेगा।

लेकिन प्रदेश सरकार ने इन सात कार्यकर्तायों पर माओवादियों से सम्बन्ध रखने, नोनाडांगा में हथियार और विस्फोटक सामग्री रखने का झूठा आरोप लगा कर १२ अप्रैल तक हिरासत में रखने कि अनुमति ले ली। उसी दिन उच्छेद प्रतिरोध समिति के बैनर तले एक मोर्चा, जिसमें नोनाडांगा निवासियों को पुनर्स्थापित करने और गिरफ्तार हुए प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की मांग थी, दिन के एक बजे कॉलेज स्क्वायर से रायटर बिल्डिंग तक निकलना तय था। लेकिन पुलिस ने इस मोर्चे को निकलने ही नहीं दिया और ५० पुरुषों, ३६ महिलाएं और उनके साथ आये हुए ४ बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी के प्रदर्शकारियों ने कॉलेज स्क्वायर में विद्यासागर मूर्ति के सामने धरना शुरू किया और धीरे-धीरे लोग इकट्ठे होने लगे। यह धरना, जिसमें नारों और भाषण के जरिये लोगो को संबोधित किया गया, ८:३० रात तब तक चला, जब तक सभी ८६ गिरफ्तार महिलाओं और पुरुषों को रिहा नहीं किया गया। प्रदेश सरकार के अत्याचार का यह सिलसिला १० अप्रैल को जारी रहा। ए. पी. डी. आर. के सदस्यों ने यह सूचना दी है कि सात गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के परिवार वालों को उनसे मिलने नहीं दिया गया।इधर प्रदेश सरकार का यह अत्याचार पूरी तरह से जारी है, और उधर झोपड़पट्टी इलाके को भी रियल एस्टेट के भेड़िये निगलने को तैयार हैं और बस्ती निवासियों के निकलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। प्राप्त

सूचना के अनुसार पुलिस ने वहां १० अप्रैल को एक भूमि सर्वेक्षण करने के बाद इलाके में अगले दिन चाहरदीवारी बनाने की बात की। विस्थापित झुग्गी निवासी, जो कि आस-पास के खुले मैदान में पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं, सरकार के इस फैसले के विरोध में भूख हड़ताल करने का निर्णय किया।

पुलिस की यह दमनकारी कार्यवाही लगातार भयावह होती जा रही है जो कि एक खतरनाक लोकतंत्र विरोधी रुख का संकेत देती है. ये सभी घटनाक्रम निश्चय ही सत्तर के दशक में बंगाल में हुयी दमनकारी, लोकतंत्र का गला घोटने वाली घटनाओं से मिलते जुलते हैं। लोकतंत्र विरोधी रुख का एक और नज़ारा १२ अप्रैल को हाजरा चौराहे पर ए. पी.डी.आर. के प्रदर्शन के दौरान देखने को मिला। एपीडीआर के कुछ कार्यकर्ता अन्यायपूर्ण गिरफ़्तारी और बेदखली के खिलाफ प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए थे। थोड़ी ही देर में उनपर तृणमूल के गुंडों ने, जाहिरा तौर पर पुलिस की आज्ञानुसार, हमला कर दिया। परिवहन मंत्री मदन मित्रा ने हाजरा चौराहे पर आकर पुलिस के साथ कुछ कानाफूसी करी, जिसके तुरंत बाद ही तृणमूल के गुंडे आ गए और प्रदर्शनकारियों पर शारीरिक हमला कर दिया जबकि पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। इसमें से कुछ बदमाशों की विडिओ चित्रों में पहचान की गयी है। इन पहचानों के अनुसार मायना, जो कि एक स्थानीय तृणमूल कार्यकर्ता है, और शम्भू तथा संतू , जो कि तृणमूल के सदस्य हैं, सभी इस हमले में शामिल थे। ये हमलावर तो सुरक्षित हैं जबकि कई शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी जिनमें की ए. पी.डी.आर. के सह सचिव, वकील श्री रांगता मुंशी भी शामिल हैं, गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें नौ घंटे हिरासत में रखने के बाद व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ा गया, और अभी भी उन पर धारा १५१ सीआर. पी. सी का मामला थोपा गया है।

सात लोकतंत्र समर्थक गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को २६ अप्रैल तक रिमांड पर लेकर हिरासत में रखा गया है। देबोलिना चक्रवर्ती को २१ अप्रैल तक सी.आई. डी. की हिरासत में भेजा गया है जहाँ उनसे 'पूछताछ' की जाएगी और इन सभी के 'राजद्रोही' और 'माओवादी' होने के अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सी.आई. डी. सह अधीक्षक अब्दुल रशीद ने अलीपोर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी दलील में मामला क्रमांक २१७/२०१० (जून २६, २०१०, दक्छिन २४-परगना, बिश्नुपुर में) को फिर से खोल कर जांचने की मांग की है। सुनवाई के दौरान ना ही देबोलिना और ना ही उनके वकील बचाव में कुछ बोल पाये। उन्होंने इस बात पर जोर दिया की अपनी रक्षा में बोलने के उनके मौलिक अधिकारों का **उल्लंघन हुआ है। देबोलिना तथा बाकि के ६ गिरफ्तार** कार्यकर्ताओं ने अदालती हवालात को छोड़ने से मना कर दिया, उनका कहना था की सी.आई. डी. ने क़ानून का गलत इस्तेमाल किया है। सी.आई. डी. अधिकारी देबोलिना को ज़बरदस्ती पूछताछ

के लिए लेते गए। देबोलिना पर यू.ए.पी.ए के तहत भी आरोप लगाये गए हैं।

'कलकत्ता को लन्दन' बनाने और भारत के विकास के लिए सभी गन्दगी को ढहा देना होगा और आम लोगो को विस्थापन और कंगाली झेल कर इस 'विकास' का मूल्य चुकाना होगा। इस जनता-विरोधी विकास के विरुद्ध उठी आवाजों को कुचल दिया जायेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सौंदर्यीकरण और विकास के नाम पर सरकारी तंत्र का विरोध कर रही लोकतान्त्रिक आवाजों को दबाने कि कोशिश कर रही हैं। उनका निरंकुश रवैया दिनोदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका ताज़ा उदहारण दमन और शोषण के विरुद्ध छपे हुए राजनैतिक कार्टूनों पर आपत्ति करना है। जादवपुर विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्राध्यापक श्री अम्बिकेश महापात्र पर तृणमूल के गुंडों ने उनके घर में घुस कर हमला किया और महापात्र को १२ अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप है की उन्होंने रेल बजेट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की असफलता का अपने राजनैतिक कार्टून में मजाक बनाया है और ईमेल के जरिये इसे फैलाया है। प्राध्यापक के एक पड़ोसी श्री सुब्रता सेनगुप्ता को भी उठा लिया गया है। पुलिस ने श्री महापात्र पर भारतीय दंड संहिता के आई. टी अधिनियम, यू/एस ६६ (ईमेल के जरिये आपत्तिजनक सन्देश भेजना) के अंतर्गत, यू/एस ५०० (मानहानि), ५०९ (शब्दों, इशारों या कार्य के द्वारा महिलाओं का अपमान) और यू/एस ११४ के तहत आरोप दर्ज किये गए हैं। यह आरोप कितने बेतुके हैं ये इसी से पता चल जाता है कि
इस तरह के कई गैर रस्मी कार्टून इन्टरनेट में एक आम बात हैं और इन्हें एक साधारण गूगल खोज के ज़रिये देखा जा सकता है।

हमारा आपसे यह अनुरोध है की इन मुद्दों को अपने सम्मानित प्रकाशन में छापें और लोगों के मौलिक अधिकारों के इस घोर उल्लंघन को प्रचारित करने में हमारी मदद करें.

प्रेस विज्ञप्ति

विज्ञप्ति के साथ निम्नलिखित संलग्न हैं:

1) टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट जो घटनाक्रम की जानकारी देती है
31 मार्च: नोनाडांगा के निवासी 30 मार्च को बेदखल किए गए
<http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-03-31/kolkata/31266126_1_squatters-shantiesvacant-land>

5 अप्रैल: प्रतिरोधियों, जिनमें एक गर्भवती महिला और एक बच्चा भी शामिल थे, पर लाठी चार्ज http://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata-/I_nfant-pregnant-woman-hurt-in-crackdown-onsquatters-rally/articleshow/12541092.cms>

6 अप्रैल: फिरहाद हकीम, प बंगाल के शहरी विकास मंत्री, ने नोनाडांगा के विस्थापितों की एक सूची मांगी
http://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata-/Firhad-asks-for-evictee-list-of-Nonadanga/articleshow/12552061.cms>

9 अप्रैल: 8 अप्रैल को रूबी जंक्शन पर आयोजित एक शांतिपूर्ण प्रतिरोध प्रदर्शन को पुलिस ने जबरन तोड़ा और प्रतिरोधियों को गिरफ्तार किया। सात कार्यकर्ता जेल में।
http://timesofindia.indiatimes.com/ city/kolkata/Child-spends-9-hours-in-policelockup/articleshow/12589067.cms>

10 अप्रैल: कॉलेज स्क्वायर में नोनाडांगा की बेदखली का विरोध कर रहे लोगों की गिरफ्तारी। पहले से गिरफ्तार सात लोगों को पुलिस हिरासत में भेजा गया। पुलिस अत्याचार और गिरफ्तारियों के विरुद्ध बुद्धिजीवियों का अभियान शुरू
http://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata-/Maoist-hand-in-Nonadanga/articleshow/12603051.cms>

11 अप्रैल: प बंगाल सरकार ने नोनाडांगा झुग्गी इलाके को घेरना चाहा पर निवासियों ने हिलने से इंकार किया; मानव अधिकार कर्मियों ने पुलिस अत्याचार की खिलाफत शुरू की
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/12617559.cms
12 अप्रैल: विस्थापितों ने भूख हड़ताल शुरू की
http://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata-/Nonadanga-evictees-on-fast-govt-goesslow/articleshow/12629671.cms>

13 अप्रैल: देबोलिना चक्रवर्ती की हिरासत के लिए सीआईडी की अपील
http://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/CID-appeals-for-custodial-interrogation-of-Debolina-Chakraborty/articleshow/12643824.cms>

2) मुख्य मंत्री के नाम नोनाडांगा निवासियों का पत्र

(दिनांक: 07/04/2012, मूल बंगाली का रितेन मित्रा द्वारा अनुवाद)
महोदया,
हम 150 घरों के निवासियों के लिए नोनाडांगा लंबे समय से एकमात्र ठिकाना रहा है। हममें से कुछ यहाँ दो साल से रह रहें और कुछ छः वर्ष यहाँ गुजार चुके हैं। एक दूसरे पाड़ा में तकरीबन एक सौ परिवार रहते हैं और उनकी कुल संख्या सात सौ से आठ सौ के बीच है। हम सभी प॰ बंगाल के विभिन्न छेत्रों से यहाँ आयें हैं। पिछले करीब चौतीस बरसों से हम यहाँ रहने वाले विषम परिस्थितियों में किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। हमारी आजीविका के सीमित साधन और बहुत ही सीमित आय के चलते हमारे लिए जीवनयापन एक संघर्ष रहा है। अब हमें हमारे घरों से बेदखल किया जा रहा है। हमें जवाब दीजिये की यहाँ से निकल कर हम कहाँ जाएँ?

आपने एक तापसी मल्लिक को न्याय दिलाने के नाम पर पिछली सरकार बदल कर एक नयी सरकार बनाई है। तब आप सात-आठ सौ लोगों को उनके घरों से बेदखल कैसे कर सकती हैं? अगर पहले की तरह यहाँ पर एक-दो परिवार ही रह रहे होते तब शायद यह कार्यवाही इतना बड़ा धक्का नहीं होती। क्या हम यह समझें की जो जमीन पिछले 50-60 सालों से बेकार समझी जा रही थी आज अचानक ही सरकार को उसकी जरूरत आन पड़ी है?

हम असहाय गरीबों का ये समूह बेहद हैरान-परेशान और संत्रस्त है। हम आप से एक आखरी बार आवेदन करते हैं कि आप यहाँ स्वयं आ कर हमारे हालात का मुअयाना करें। अगर दीदी एक तापसी मल्लिक के लिए लड़ सकती है तो उसे सैकड़ो गरीबों कि आवाजें जरूर सुनाई पड़नी चाहिये। हम आशा करते हैं कि वो यहाँ आकर हमारी परिस्थिति का जायज़ा जरूर लेंगीं।

आदरपूर्वक,
नोनाडांगा मजदूर पल्ली
थाना-तिलजला, साउथ 24 परगना
3) विडियो और तस्वीरें
a) अप्रैल 4 को रूबी जंक्शन पर हुए पुलिस लाठी चार्ज का विडियो फुटेज
http://www.youtube.com/watch?v=g9WHhewfEDU&feature=player_embedded

b) 11 अप्रैल से चालू नोनाडांगा निवासियों कि भूख हड़ताल का विडियो
http://www.youtube.com/watch?v=6dafUh4NnCI>

c) अप्रैल 12 को हज़ारा के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर तृणमूल के गुंडों के हमले का विडियो

http://www.youtube.com/watch?v=pwclIfDhAW8&feature=youtu.be&noredirect=1

d) रूबी जंक्शन के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के फोटो
<http://sanhati.com/wp-content/u ploads/2012/04/1.JPG >
<http://sanhati.com/wp-content/uploads/2012/04/2.JPG>
< http://sanhati.com/wp-content/uploads/2012/04 /3.JPG >

e) एक दूधमुहें कैदी को दर्शाती हुई लालबाजार पुलिस लॉकअप की फोटो
<http://sanhati.com/wp-content/uploads/2012/04/4.JPG>
<http://sanhati.com/wp-content/uploads/2012/04/5.JPG>

f) 9 अप्रैल के प्रदर्शन की फोटो
<http://sanhati.com/wp-content/uploads/2012/04/uchhed1.jpg>
http://sanhati.com/wp-content/uploads/2012/04/uchhed2.jpg

g) बेदखली और गिरफ्तारियों के विरोध में सिलीगुड़ी में 11 अप्रैल को हुए प्रदर्शन की फोटो
<http://sanhati.com/wp-content/uploads/2012/04/shiliguri1.jpg>
<http://sanhati.com/wp-content/uploads/2012/04/shiliguri1.jpg>
<http://sanhati.com/wp-content/uploads/2012/04/shiliguri1.jpg>

4) वेब पिटिशन
a) संहति और आईआईएससी कंसर्न के पिटिशन
http://sanhati.com/articles/4801/
b) प बंगाल सरकार को संबोधित पिटिशन जो डॉ पार्थ सारथी रॉय और अन्य हिरासत में रखे कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग करता है और नोनाडांगा बेदखली का विरोध करता है
< http://www.ipetitions.com/petition/release-dr-partho-sarothi-ray-and-others-nonadanga/ >

5) एपीडीआर पर हुए हमले की निंदा करते हुए एम॰ए॰एस॰यू॰एम॰ का पत्र
http://sanhati.com/articles/4775/#13

6) ए॰पी॰डी॰आर॰ का प्रतिरोध प्रदर्शन पर हमले के विरोध में वक्तव्य
http://sanhati.com/articles/4775/#7

7) शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस कार्यवाही का विरोध करते हुए बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं का एक वक्तव्य
http://sanhati.com/articles/4775/#4

8) नोनाडांगा के निवोसियों पर प बंगाल पुलिस के हमले का विरोध करते हुए पीयूडीआर का वक्तव्य
<http://www.pudr.org/content/pudr-condemns-attack-nonadanga-slumdwellers-west-bengal-police-kolkata>